रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



REGD. NO. D. L.-33004/99

HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2010/पौष 28, 1931 No. 94] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2010/PAUSA 28, 1931

सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूंचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

का.आ. 107(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 196(अ), तारीख 6 मार्च, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :----

उक्त अधिसूचना की सारणी में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 के सामने दिल्ली राज्य के संबंध में, स्तंभ (1), स्तंभ (2) और स्तंभ (3) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एन एच-14013/5/2008-पी एण्ड एम]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

पाद टिप्पण :----मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में का.आ. 196(अ), तारीख 6 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

S.O. 107(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 196(E), dated 6th March, 2000, namely :—

In the table to the said notification, against National Highway number 1, the entries in columns (1), (2) and (3), in respect of State of Delhi shall be omitted.

[F. No. NH-14013/5/2008-P&M]

S. NARENDRA, Director

Footnote :— The Principal Notifications were published in the Gazette of India vide number S.O. 196(E), dated the 6th March, 2000.

213 GI/2010

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

का.आ. 108(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :----

"27 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [16.500 कि.मी. राष्ट्रीय राजधानी से 29.300 कि.मी. को छोड़कर (संजय राज्य क्षेत्र दिल्ली गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली/हरियाणा सरकार ।" सीमा)], सं. 10 और सं. 24 जो, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित है ।

> [फा. सं. एन एच-14013/5/2008-पी एण्ड एम] एस. नरेन्द्र, निदेशक

पाद टिप्पण :----मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 2595(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2009 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

S.O. 108(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"27 So much of National Highways No.1 [excluding from km. 16.500 to km 29.300 (from Sanjay Gandhi Transport Nagar to Delhi/Haryana Border)], No. 10 and No. 24 as are situated within the National Capital Territory of Delhi. Government of National Capital Territory of Delhi".

[F. No. NH-14013/5/2008-P&M]

S. NARENDRA, Director

Footnote :— The Principal Notification was published vide number S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2595(E), dated the 12th October, 2009.